



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ




पत्रांक : विप०-1/320-एकीकृत लाई०/2017-1205 दिनांक 11.12.2017

समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-67 व नियम-68 का संशोधन संबंधी अधिसूचना संख्या-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 निर्गत हो गई है।

अतः निर्गत शासकीय अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक:यथोपरि।


(धीरज कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन: पत्रांक व दिनांक समांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त उपनिदेशक (प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (3) सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
- (4) अनुभाग अधिकारी, परिषद बैठक पटल, मण्डी परिषद, मुख्यालय।


निदेशक

4. 4/12/17

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या -03(1)/2017/2459/80-1-2017-78/2014
लखनऊ दिनां 04 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम -67 में प्राविधानित एकीकृत लाइसेंस शुल्क की धनराशि को कम किये जाने तथा नियमावली, 1965 के नियम-68 के उप नियम-(4) में संशोधन कर "डिजिटल पेमेन्ट" की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कृषि विपणन एवं कृषि व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या- 03/2017/2459/80-1-2017-78/2014, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 01 दिसम्बर 2017, के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड "ख" में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
- (6) गार्ड फाइल।

PS to AD/17

08/12/17
निजी अधिव
निदेशक
मण्डी परिषद, 30प्र0

2174
08/12/17

DDM(R)/50M-1

जितेन्द्र प्रताप सिंह
अपर निदेशक (प्रशासन)

आज्ञा से,

ममता यादव
04/12/17
(ममता यादव)
विशेष सचिव।

30(14-1)
11/12/17

(राजीव श्री)
विशेष सचिव

6246
11/12/17

ममता यादव
11/12/17

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014
लखनऊ दिनांक- 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017

- संक्षिप्त नाम** 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- नियम-67 का संशोधन** 2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 67 में, लाइसेंस निर्गत किये जाने और उसके नवीकरण हेतु शुल्क की सारणी में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम				स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम			
67	लाइसेंस का वर्ग	लाइसेंस का विवरण	लाइसेंस शुल्क	67	लाइसेंस का वर्ग	लाइसेंस का विवरण	लाइसेंस शुल्क
	6	थोक व्यापारी-सह-आदतिया, या थोक व्यापारी, या आदतिया के लिए एकीकृत लाइसेंस	1,00,000		6	थोक व्यापारी- सह-आदतिया, या थोक व्यापारी, या आदतिया के लिए एकीकृत लाइसेंस	10,000

नियम-68 का संशोधन 3. उक्त नियमावली में, नियम 68 में, स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम(4) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।	(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद या डिजिटल पेमेन्ट अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan

Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014, dated, November, 2017

Notification

No - 03/2017/2459/80-1-2017-78/2014

Lucknow, Dated, November, 01 2017

December,

In exercise of the powers under section 40 of the Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965:-

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (TEISAWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2017

- Short title 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Teisawan Sanshodhan) Niyamawali, 2017.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Gazette.
- Amendment 2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to of rule-67 as the said rules in rule 67 in the table of fees for issue and renewal of licenses, for the entries at class 6 set out in column-I below, the entries as set out in column-II shall columnwise be substituted namely:-

Column-I Existing rule				Column-II Rule as hereby substituted			
67	Class of license	Description of license	License fee	67	Class of license	Description of license	License fee
	6	Unified License for the Wholesale trader-cum-commission agent, Wholesale trader, or Commission agent.	1,00,000		6	Unified License for the Wholesale trader-cum-commission agent, Wholesale trader, or Commission agent.	10,000

- Amendment 3. In the said rules, in rule-68 for sub- rule(4) set out in column-I, the sub rule as set of Rule-68 out in column-II shall be substituted namely:

Column-I Existing sub-rule	Column-II Sub-rule as hereby substituted
(4) The payment of the market fee and licence fee shall be made to the Committee in cash and in special circumstances by Bank Draft of Nationalised Bank."	(4) The payment of the market fee and license fee etc. shall be made to the Committee in cash or Digital Payment and in special circumstances by Bank Draft of Nationalised Bank."

By Order

(Amit Mohan Prasad)
Principal Secretary